प्रेस को सूचना (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 51/2026)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026" पर परामर्श पत्र के संबंध में टिप्पणियाँ/प्रतिटिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार

नई दिल्ली, 10 अप्रैल 2026: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने "दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता (तृतीय संशोधन) विनियम, 2026" पर परामर्श हेतु मसौदा जारी किया था। इस परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2026 तथा प्रतिटिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के मद्देनज़र, जिनमें यह उल्लेख किया गया कि टीसीसीसीपी विनियमों (TCCCPR) में प्रस्तावित संशोधनों के महत्वपूर्ण व्यावसायिक, वाणिज्यिक, विनियामक, तकनीकी तथा वित्तीय प्रभाव हैं और इन पर विस्तृत परीक्षण एवं आंतरिक विचार-विमर्श आवश्यक है, प्राधिकरण ने टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 तथा प्रतिटिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 मई 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

3. मसौदा संशोधन में उठाए गए मुद्दों पर टिप्पणियाँ एवं प्रतिटिप्पणियाँ, यदि कोई हों, अधिमानतः ई-मेल के माध्यम से advqos@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।

4. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (QoS-II), से advqos@trai.gov.in अथवा दूरभाष संख्या +91-11-20907760 पर संपर्क किया जा सकता है।

5. इस संबंध में कोई और विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा।

अतुल चौधरी 10/4/26

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, ट्राई